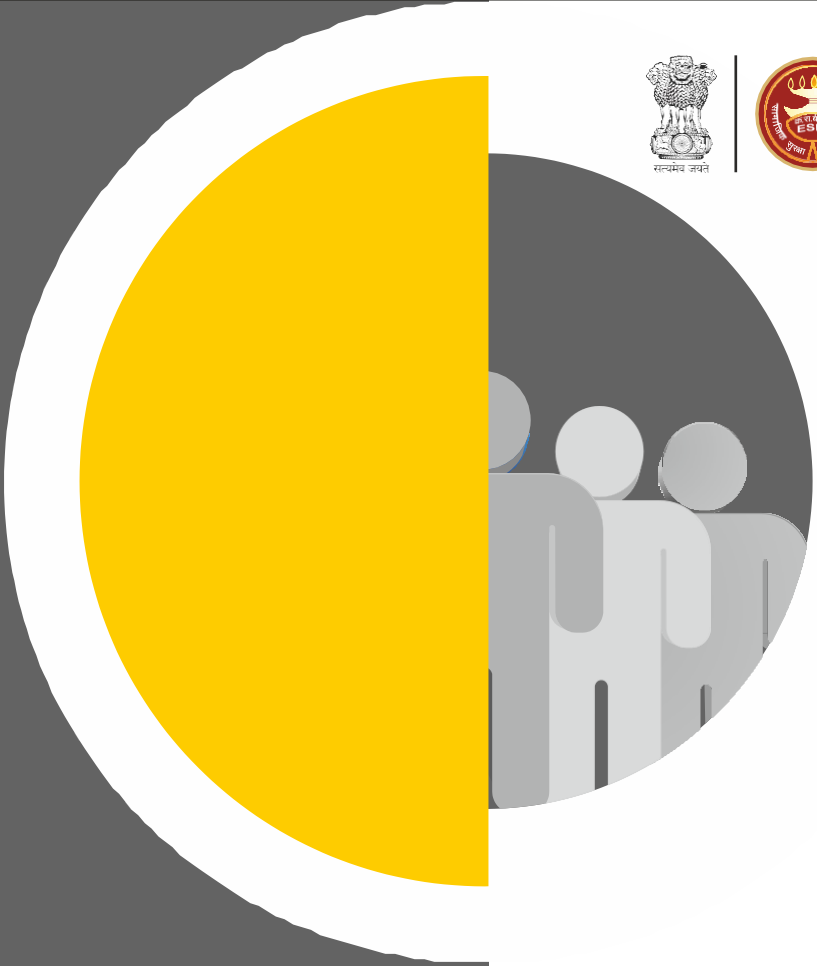




नागरिक (ग्राहक)
घोषणापत्र

Citizen's Charter

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय
भारत सरकार

Employees' State Insurance Corporation
Ministry of Labour & Employment
Government of India



नागरिक (ग्राहक) घोषणापत्र CITIZEN'S CHARTER



पंचदीप लक्ष्य VISION PANCHDEEP

हम प्रतिबद्ध हैं:

देश के संगठित क्षेत्र में व्याप्त होने वाले कामगारों को स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

Committed to:

Provide Health and Social Security Coverage to organised sector workers of the country



ध्येय MISSION

वीमाकृत व्यक्तियों को गुणतापूर्ण स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा सेवाएं देना सुनिश्चित करना।

- देश में क.रा.वी. योजना का नए क्षेत्रों में तथा रोज़गार के क्षेत्रकों में विस्तार करना।
- सभी पणधारियों के बीच क.रा.वी. योजना संबंधी जागरूकता उत्पन्न करना।

To ensure delivery of quality Health & Social Security services to Insured Persons

- To carry out expansion of ESI Scheme to the new areas and sectors of employment in the country
- Creating awareness of ESI Scheme among all stakeholders



मुख्य सेवाएं / संयवहार

क्रम सं.	सेवा / संयवहार*	महत्व %	उत्तरदायी व्यक्ति (पदनाम)	ई-मेल	दूरभाष	प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज	शुल्क	
								श्रेणी	साधन राशि
	चिकित्सा सुविधाएं	40	चिकित्सा आयुक्त (एमएस)	mc-ms.hq@esic.nic.in	011-23235779	ऑनलाइन	प्रत्यक्ष उपस्थिति		
	रिपोर्टिंग गैर व्याप्ति, अनुपालन न किया जाना	20	बीमा आयुक्त (राजस्व)	ic-revenue@esic.nic.in	011-23237294				
	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	16	चिकित्सा आयुक्त (एमएस)	mc-ms.hq@esic.nic.in	011-23235779	ऑनलाइन	दावा		
	नकद हितलाम	24	बीमा आयुक्त (हितलाम)	ic-revenue@esic.nic.in	011-23237294	ऑनलाइन			
	क्रम सं हितलाम								
	बीमारी						चिकित्सा प्रमाणपत्र आरएम-1 जहां कहीं भी लागू हो बैंक खाता व्योरे सहित सभी प्रकार से पूर्ण दावा		

Main Services/Transactions

S. No.	Service/Transaction*	Weight %	Responsible Person (Designation)	Email	Phone	Process	Document Required	Fee	
								Category	Mode Amount
	Medical Facilities	40	Medical Commissioner (MS)	mc-ms.hq@esic.nic.in	011-23235779	Online	Physical presence		
	Non-Coverage, Non-Compliance / under reporting	20	Insurance Commissioner (Revenue)	ic-revenue@esic.nic.in	011-23237294	Online registration of units/ Employees, Defaulter action for non-compliance/ under reporting			
	Medical Reimbursement	16	Medical Commissioner (MS)	mc-ms.hq@esic.nic.in	011-23235779	Online	Claim		
	Cash Benefit	24	Insurance Commissioner (Benefit)	ic-revenue@esic.nic.in	011-23237294	Online			
	S. No. Benefit								
	Sickness						Medical Certificate RM-1, wherever applicable Claim complete in all respect along with Bank A/c details.		



क्रम सं.	सेवा /संव्यवहार*		महत्व %	उत्तरदायी व्यक्ति (पदनाम)	ई-मेल	दूरभाष	प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज	शुल्क	
	क्रम सं	हिसाब							श्रेणी	साधन राशि
		विस्तारित बीमारी		बीमा आयुक्त (हितलाभ)	ic-revenue@esic.nic.in	011-23237294	ऑनलाइन	चिकित्सा प्रमाण पत्र चिकित्सा निर्देशी /चिकित्सा बोर्ड का मत बैंक खाता ब्योरे सहित सभी प्रकार से पूर्ण दावा		
		वर्धित बीमारी		बीमा आयुक्त (हितलाभ)	ic-revenue@esic.nic.in	011-23237294	ऑनलाइन			
		मातृत्व		बीमा आयुक्त (हितलाभ)	ic-revenue@esic.nic.in	011-23237294	ऑनलाइन	चिकित्सा प्रमाणपत्र अनुपस्थिति सत्यापन रिपोर्ट बैंक खाता ब्योरे सहित सभी प्रकार से पूर्ण दावा इसके अतिरिक्त, बीमाकृत महिला शाखा कार्यालय में जाए बिना ऑनलाइन दावा कर सकती है।		
		निःशक्तता		बीमा आयुक्त (हितलाभ)	ic-revenue@esic.nic.in	011-23237294	ऑनलाइन	विधिवत स्वीकृत की गई दुर्घटना रिपोर्ट सभी आवश्यक दस्तावेज अर्थात् प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आइ.आर.), (यदि अनुपयोज्य हो) आदि सहित अन्येष्ट रिपोर्ट चिकित्सा प्रमाण-पत्र / उपचार दस्तावेज /चिकित्सा बोर्ड निःशक्तता निर्धारण		

S. No.	Service/Transaction*		Weight %	Responsible Person (Designation)	Email	Phone	Process	Document Required	Fee	
									Category	Mode Amount
	Extended Sickness			Insurance Commissioner (Benefit)	ic-revenue@esic.nic.in	011-23237294	Online	Medical Certificate MR opinion/ Medical Board opinion Claim complete in all respect along with Bank A/c details		
	Enhanced Sickness			Insurance Commissioner (Benefit)	ic-revenue@esic.nic.in	011-23237294	Online	Medical Certificate Claim complete in all respect along with Bank A/c details		
	Maternity			Insurance Commissioner (Benefit)	ic-revenue@esic.nic.in	011-23237294	Online	Medical Certificate Abstention verification Report Claim complete in all respect along with Bank A/c details. Further, Insured Women can file online claim without any need to visit Branch Office		
	Disablement			Insurance Commissioner (Benefit)	ic-revenue@esic.nic.in	011-23237294	Online	Accident Report duly accepted Investigation report along with all necessary documents viz FIR (if applicable) e.t.c Medical Certificate/ Treatment papers Medical Board disability assessment		



क्रम सं.	सेवा / संयवहार*		महत्व %	उत्तरदायी व्यक्ति (पदनाम)	ई-मेल	दूरभाष	प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज	शुल्क	
	क्रम सं.	हितात्म							श्रेणी	साधन
								बैंक खाता ब्यौरे सहित सभी प्रकार से पूर्ण दावा		
		आश्रितजन		बीमा आयुक्त (हितलाभ)	ic-revenue@esic.nic.in	011-23237294	ऑनलाइन	विधिवत स्वीकृत की गई दुर्घटना रिपोर्ट आवश्यक दस्तावेजों के साथ अन्वेषण रिपोर्ट आश्रितजनों के बैंक खाता ब्यौरे सहित सभी प्रकार से पूर्ण दावा		
		राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना (बरोजगारी भत्ता)		बीमा आयुक्त (हितलाभ)	ic-revenue@esic.nic.in	011-23237294	ऑनलाइन	प्रमाण-पत्र जिसमें बंदी/छूटनी/स्थायी निश्चकता के कारण गैर-रोजगार घोट 40 प्रतिशत से कम न हो औद्योगिक विवाद(आइ.डी.) अधिनियम के अनुसार नियोजता प्रमाण-पत्र/जीवन प्रमाण-पत्र बैंक खाता ब्यौरे सहित सभी प्रकार से पूर्ण दावा		
		अंत्येष्टि खर्च		बीमा आयुक्त (हितलाभ)	ic-revenue@esic.nic.in	011-23237294	ऑनलाइन	मृत्यु प्रमाण पत्र बैंक खाता ब्यौरों सहित परिवार के ज्येष्ठ जीवित सदस्य द्वारा अथवा खर्च का वास्तविक रूप से वहन करने वाले व्यक्ति का सभी प्रकार से पूर्ण दावा		

S. No.	Service/Transaction*	Weight %	Responsible Person (Designation)	Email	Phone	Process	Document Required	Fee	
								Category	Mode Amount
							Claim complete in all respect along with Bank A/c details.		
	Dependant		Insurance Commissioner (Benefit)	ic-revenue@esic.nic.in	011-23237294	Online	Accident Report duly accepted Investigation report along with required documents Claim complete in all respect with bank account number of dependents.		
	Rajeev Gandhi Sharmik Kalyan Yojana (Unemployment Allowance)		Insurance Commissioner (Benefit)	ic-revenue@esic.nic.in	011-23237294	Online	Closure/retenchment/permanent invalidity not less than 40% arising out of non-employment injury certificates. As per Industrial Disputes Act Employer certificate /Life certificate. Claim complete in all respect along with Bank A/c details.		
	Funeral expenses		Insurance Commissioner (Benefit)	ic-revenue@esic.nic.in	011-23237294	Online	Death Certificate Claim by eldest surviving member of the family or the person who actually incurs the expenditure, complete in all respect along with Bank A/c details		



क्रम सं.	सेवा /संयवहार*		महत्व %	उत्तरदायी व्यक्ति (पदनाम)	ई-मेल	दूरभाष	प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज	शुल्क	
	क्रमा सं	हितलाभ							श्रेणी	साधन राशि
		प्रसूति खर्च		बीमा आयुक्त (हितलाभ)	ic-revenue@esic.nic.in	011-23237294	ऑनलाइन	बैंक खाता ब्यौरे सहित सभी प्रकार से पूर्ण उपयुक्त प्रपत्र में बीमाकृत महिला/बीमाकृत व्यक्ति द्वारा उसके स्वयं अथवा उसकी पत्नी के संबंध में किया गया दावा		
	10	अटल बीमि कल्याण योजना (दिनांक 30.06.2024 तक विस्तारित)		बीमा आयुक्त (हितलाभ)	ic-revenue@esic.nic.in	011-23237294	ऑनलाइन	बीमाकृत व्यक्ति / बीमाकृत महिला द्वारा विहित प्रपत्र में दावा (एबी-1) (कोरोना अवधि के लिए शर्तें शिथिल)		
	11	क.रा.बी.निगम कोविड-19 राहत योजना (दिनांक 23.03.2022 को योजना बद की गई) दिनांक 23.03.2022 तक कोविड-19 के कारण मरने वाले बीमाकृत व्यक्ति / बीमाकृत महिला के संबंध में योजना की समाप्ति के बाद एक वर्ष की अवधि के लिए दावा प्रस्तुत किया जा सकता है।	1	बीमा आयुक्त (हितलाभ)	ic-revenue@esic.nic.in	011-23237294	ऑनलाइन	आश्रितजन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दावा (सीआरएस I - V). (कोविड-19 के कारण बीमाकृत व्यक्ति / बीमाकृत महिला की मृत्यु)		

*नोट : अब, क.रा.बी.योजना के अंतर्गत सभी नकद हितलाभों का दावा क.रा.बी.निगम के शाखा कार्यालयों में जाए बिना ऑनलाइन क.रा.बी.निगम के पोर्टल के माध्यम से क.रा.बी.निगम के पोर्टल www.esic.gov.in पर की जा सकती है।

S. No.	Service/Transaction*		Weight %	Responsible Person (Designation)	Email	Phone	Process	Document Required	Fee	
									Category	Mode Amount
		Confinement expenses		Insurance Commissioner (Benefit)	ic-revenue@esic.nic.in	011-23237294	Online	Claim by Insured Women/Insured Person in respect of herself or his wife in appropriate form complete in all respect along with Bank A/c details		
	10			Insurance Commissioner (Benefit)	ic-revenue@esic.nic.in	011-23237294	Online	Claim by Insured Women/Insured Person in prescribed Form (AB-1) (Conditions relaxed for Corona period)		
	11	ESIC-Covid-19 Relief Scheme (Scheme closed w.e.f. 23.03.2022) Claim can be submitted for a period of one year after the expire of the scheme in respect of IP/IW who have died due to Covid-19 upto 23.03.2022	1	Insurance Commissioner (Benefit)	ic-revenue@esic.nic.in	011-23237294	Online	Claim by dependent in prescribed Form (CRS I - V). (Death of Insured Person/ Insured Woman due to COVID-19.)		

*NOTE : Now, claim for all the cash benefits available under ESI Scheme can be done online through ESIC Portal, 'www.esic.gov.in' without any need to visit ESIC Offices.

सेवा मानक

[illegible]

शिकायत निवारण तंत्र

क्र.सं.	लोक शिकायत अधिकारी का नाम	हेल्पलाइन संख्या	ई-मेल	मोबाइल संख्या
1	श्री प्रणय जिन्हा बीमा आयुक्त	011-2323 9987	ic-pna@esic.nic.in	99990 53684
2	श्री एम. जॉर्ज, संयुक्त निदेशक	011-2323 5781	m_george@esic.nic.in	80970 85751
3	श्री केशी प्रसाद पांडेय, उप निदेशक	011-2323 5629	kashi.pandey@esic.nic.in	78959 99696
4	श्री विकास सांगवान, सहायक निदेशक	011-2323 1354	vikas.sangwan@esic.nic.in	99997 19004

डाटा स्रोत

1. सीपीग्राम तथा www.estic.gov.in
2. लोक शिकायत लिंक करा.बी.निगम की कार्यालयी वेबसाइट www.estic.gov.in पर उपलब्ध है।
3. टोल फ्री सं. 1800112526 (24x7) (सामान्य तथा चिकित्सा मामलों के लिए)
4. ई मेल :- (i) pg-hqrs@estic.nic.in (लोक शिकायत हेतु),
(ii) itcare@estic.nic.in (सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी मामलों पर नियोक्ताओं की शिकायतों के लिए)

Service Standards

[illegible]

Grievance Redressal Mechanism

S. No.	Name of the Public Grievance Officers	Landline Number	E-mail	Mobile No.
1	Sh. Pranay Sinha, Insurance Commissioner	011-2323 9987	ic-pna@esic.nic.in	99990 53684
2	Sh. M. George, Joint Director	011-2323 2629	m.george@esic.nic.in	80970 85751
3	Sh. Kashi Prasad Pandey, Deputy Director	011-2323 5781	kashi.pandey@esic.nic.in	78959 99696
4	Sh. Vikas Sangwan, Assistant Director	011-2323 1354	vikas.sangwan@esic.nic.in	99997 19004

Data sources

1. CPGRAMS and www.esic.gov.in
2. Public grievances link available at ESIC official website: 'www.esic.gov.in'
3. (24x7) Toll Free No. 1800112526 for General and Medical purpose.
4. Email:- (i) pg-hqrs@esic.nic.in (for Public Grievances),
(ii) ltcare@esic.nic.in (for grievances of employers on IT related issues)

मुख्यालय में लोक शिकायत निवारण प्रणाली (सेवा)

- लोक शिकायत प्रकोष्ठ की अध्यक्षता बीमा आयुक्त स्तर के अधिकारी द्वारा की जाती है।
- क.रा.बी. निगम द्वारा नियंत्रित सभी कार्यालयों/अस्पतालों के शिकायत निवारण तंत्र का अनुवीक्षण करना।
- सभी क्षेत्र कार्यालयों और अस्पतालों में त्वरित प्रभावी निवारण सुनिश्चित करने के लिए शिकायत निवारण नामोदृष्टि अधिकारी किए जाते हैं।
- मुख्यालय द्वारा शिकायतों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं।

केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण तथा निगरानी प्रणाली (सी.पी.जी.आर.ए. एम.एस.) (सी.पी.ग्राम)

- लोक शिकायत पोर्टल, भारत सरकार के माध्यम से क.रा.बी. निगम संबंधी ऑनलाइन शिकायतें प्राप्त की जाती हैं।
- लोक शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया तैयार (एसओपी) की गई है और विभिन्न साधनों (माध्यमों) जैसे सीपीग्राम, ई-मेल आदि से प्राप्त लोक शिकायतों के निवारण हेतु यह दिनांक 08.12.2020 को जारी की गई।
- लोक शिकायत निदेशालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की निगरानी की जाती है।

सुविधा समागम

- लाभार्थियों की लोक शिकायतों का शीघ्र निपटान करना।
- क.रा.बी. निगम के क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय में प्रत्येक माह के दूसरे बुधवार (अप.) को तथा औषधालय-सह-शाखा कार्यालय/शाखा कार्यालय में प्रत्येक माह के दूसरे शुक्रवार को आवधिक रूप से आयोजित करना।
- क.रा.बी. निगम/क.रा.बी. योजना अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक उसी स्थान/नगर/शहर के सुविधा समागम में अवश्य उपस्थित होते हैं।
- क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय से दूर अलग शहर/नगर में तैनात चिकित्सा अधीक्षक अस्पताल के स्तर पर आयोजित करते हैं।

सुगमता केंद्र

- निगम ने योजना के लाभार्थियों के साथ बेहतर परस्पर बातचीत (वार्ता) हेतु सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, उप क्षेत्रीय कार्यालयों, क.रा.बी. निगम अस्पताल तथा आदर्श अस्पतालों में सुगमता केंद्र खोले हैं।

Public Grievance Redressal System at HQ office

- Public Grievance Cell is headed by Senior Officer, of the level of Insurance Commissioner.
- Monitors the grievances redressal machinery of all the offices/hospitals under the control of ESIC
- Public Grievance officers have been designated in all field offices and hospitals to ensure prompt and effective redressal of grievance.
- Guidelines are issued from the ESIC Hqrs. from time to time to ensure prompt disposal of grievances.

Centralized Public Grievance Redressal and Monitoring System (CPGRAMS)

- Online grievances related to ESIC are received through PG portal, Govt. of India.
- A Detailed Standard Operating Procedure (SOP) has been formulated by PG Cell, ESIC Headquarters and issued on 08.12.2020 for redressal of Public Grievance received through various modes like CPGRAMS, Emails etc.
- The grievances received through Directorate of Public Grievance, Ministry of Labour & Employment & PM Office is also monitored.

Suvidha Samagam

- On the spot redressal of public grievances of beneficiaries.
- Periodically, meetings are held on second Wednesday (Afternoon) of every month in ESIC Regional Offices/Sub-Regional Offices and on Second Friday of every month at DCBOs/BO.
- Medical Superintendents of ESIC/ESIS hospital of same locality/town/city attend the Suvidha Samagam in Regional Offices/Sub-Regional Offices.
- Medical Superintendents located in different city/town at distance away from RO/SRO hold Suvidha Samagam at hospital level.

Facilitation Center

- The Corporation has opened facilitation Centers in all the Regional Offices, Sub-Regional Offices, ESIC hospital & Model Hospitals in order to have a better interaction with the beneficiaries of the scheme.

हितधारकों के लिए ऑनलाइन सुविधाओं का विस्तार

Facilities extended online to the stakeholders



1. बीमाकृत व्यक्ति, विभिन्न क.रा.बी. निगम हितलाभ अपनी पात्रता और हकदारी अनुसार आईपी पोर्टल पर लॉगिंग कर देख सकते हैं।
2. आईपी पोर्टल एवं उमंग पोर्टल का उपयोग करने हेतु बीमाकृत व्यक्ति को ई-पहचान कार्ड प्रिंट करने की सुविधा प्रदान की गई है। बीमाकृत व्यक्ति डीजी लॉकर से भी ई-पहचान प्राप्त कर सकता है।
3. बीमाकृत व्यक्ति आईपी पोर्टल के माध्यम से अपनी क.रा.बी. निगम हितलाभ दावा जैसे बीमारी, विस्तारित बीमारी, निःशक्तता और प्रसूति हितलाभ प्रस्तुत कर सकता है। उनके दावे की स्थिति आईपी पोर्टल पर भी देखी जा सकती है। बीमाकृत व्यक्तियों को ऑनलाइन हितलाभों का दावा करने हेतु जागरूक करने के लिए क्षेत्र स्तर पर इस सेवा को बढ़ाया जा सकता है।
4. बीमाकृत व्यक्तियों को आईपी. पोर्टल से उनकी सुविधाओं के लिए ऑनलाइन औषधालय बदलने की सुविधा प्रदान की गई है।
5. सिस्टम में आधार को जोड़ने (सीड करने) के सुविधा प्रदान की गई है। अब, नियोजक उनके आधार नंबर के जरिए क.रा.बी. निगम के साथ कर्मचारी (कर्मचारियों) का पंजीकरण कर सकता है। यह नए बीमाकृत व्यक्ति के लिए जोड़े जा रहे प्रमाणीकृत आधार डेटा के साथ लाभार्थियों की पहचान और पुष्टि करने में सहायता करेगा।
6. सहमति प्रदान करने पर, अपने स्वयं के पंजीकरण के समय उपलब्ध कराए गए आधार नंबर के लिए कर्मचारी का एबीएचए (आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट) नंबर भी सृजित किया जा सकेगा। ए.बी.एच.ए. नंबर एक विशिष्ट पहचान नंबर है और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के तहत कई स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को बीमाकृत व्यक्ति/लाभार्थियों के स्वास्थ्य रिकार्ड तक पहुंच/उपलब्धता की सुविधा प्रदान करता है।
7. क.रा.बी. निगम लाभार्थियों को टेली-परामर्शी सेवाएं प्रदान कराने के लिए ई-संजीवनी पोर्टल/ऐप की सेवाओं का उपयोग कर रहा है।
8. विभिन्न सेवाओं का उपयोग करने पर सृजित (जनरेटिड) एस एम एस में एक लिंक के माध्यम से बीमाकृत व्यक्तियों के लिए क.रा.बी. निगम की सेवाओं के संबंध में सुझावों तथा फीडबैक देने की व्यवस्था की गई है।
9. क.रा.बी. चिकित्सा केन्द्रों में ऑनलाइन एपॉइंटमेंट लेने के लिए एएए+ मोबाइल ऐप शुरू की गई है। लाभार्थी इस मोबाइल ऐप का प्रयोग करते हुए बह्य रोगी विभाग के लिए स्वयं चेक-इन सृजित कर सकता/सकती है।

1. The Insured Person may view his/her eligibility and entitlement of various ESIC benefits by logging into the IP Portal.
2. Facility to print e-Pehchan Card has been provided to Insured Persons using the IP Portal & UMANG App. The IP can also get his e-Pehchan from the Digi Locker.
3. Insured Persons can submit his/her ESIC Claim Benefits such as Sickness, Extended Sickness, Disablement and Maternity benefit, online from IP Portal. The status of their claim can also be seen on the IP portal. This service may be promoted at field level for awareness among Insured Persons to claim benefits online.
4. Insured Persons have been facilitated to change the dispensary online from IP Portal at their convenience.
5. Aadhaar seeding has been facilitated in the system. Now, employer can register the employee(s) with ESIC by providing their Aadhaar Number. This will help in identification and authentication of beneficiaries with the authenticated Aadhaar data being seeded for a new IP.
6. On providing the consent, ABHA (Ayushman Bharat Health Account) No. of the employee can also be generated for the provided Aadhaar Number at the time of registration itself. ABHA number is a unique identification number and facilitates access/availability to the IP/beneficiaries' health records across multiple Healthcare service providers under ABDM.
7. ESIC is utilizing the services of the e-Sanjeevani Portal/app for extending tele-consultation services to beneficiaries.
8. Provision for suggestions and feedback on ESIC Services has been extended to the IPs through a link on SMS generated on availing various services.
9. AAA+ mobile App has been enabled for seeking online appointment at the ESI Medical Centers. The Beneficiary can generate Self Check-in for the OPD, using the mobile app.

प्रिय बीमाकृत व्यक्ति/कर्मचारी बेहतर तथा शीघ्र सेवाओं के लिए

कृपया याद रखें :

- ई पहचान कार्ड सामाजिक सुरक्षा के लिए आपका वीजा है; इसे गुम होने अथवा क्षतिग्रस्त होने से बचाएं। इसकी प्रति को हमेशा संभालकर सुरक्षित रखें।
- पहचान कार्ड गुम होने की स्थिति में, अपने शाखा कार्यालय/औषधालय को मामले की जानकारी दें।
- अब संपूर्ण देश में बीमाकृत व्यक्ति की बीमा संख्या सुवाह्य (पोर्टबल) है।
- यदि आप कार्य-ग्रहण कर रहे हैं/जॉब बदल रहे हैं तथा कर्मचारी राज्य बीमा पंजीकरण सं. (बीमा सं.) से पहले ही पंजीकृत हैं, तो कृपया इस संबंध में अपने नए नियोक्ता को सूचित करें।
- कुछ हितलाभ आपके अंशदान की अवधि पर आधारित होते हैं। अतः, रोजगार के परिवर्तन पर वर्तमान क.रा.बी. निगम बीमा संख्या से स्वयं को पंजीकृत करने पर आप ऐसे वर्धित/अंशदान से संबंधित हितलाभों के हकदार होंगे।
- क.रा.बी. औषधालय/अस्पताल जाते समय अपना पहचान कार्ड/ई-पहचान कार्ड, हेल्थ पासबुक तथा/अथवा कंप्यूटर जनित बाह्य रोगी विभाग (ओ.पी.डी.) की पर्ची हमेशा अपने साथ लेकर जाएं। इससे आप सेवाएं शीघ्र प्राप्त कर सकेंगे। इससे आपका पिछला चिकित्सा वृत्त (हिस्ट्री) आसानी से देखा जा सकता है।
- अपनी अस्थायी निःशक्तता हितलाभ समाप्त होने पर तुरंत चिकित्सा बोर्ड के जरिए जाँच के लिए आवेदन करें।
- आपात स्थिति के अलावा उपचार के लिए रेफरल प्रक्रिया का अनुसरण करें।
- यदि आपको कोई शिकायत है तो शीघ्र निवारण के लिए अपने संबंधित शाखा प्रबंधक/औषधालय प्रभारी से संपर्क करें जिससे तत्काल संदर्भित (रेफरल) हेतु सम्बद्ध हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक माह के एक दिन पर सुविधा समागम की संकल्पना भी क.रा.बी. निगम के सभी कार्यालयों में आरंभ की गई है।
- क.रा.बी. स्टाफ के साथ शिष्ट व्यवहार करें और उनसे सदैव शिष्टता व सहयोग की आशा करें।

आपकी सहायता के लिए हमें सहयोग करें

कृपया :

- चिकित्सा सेवाओं आदि के उद्देश्य के लिए अपने परिवार के व्यौरों में किसी भी गैर-पात्रता प्राप्त व्यक्ति को न जोड़ें।
- अपने ई-पहचान कार्ड/हेल्थ पासबुक को विकृत अथवा उसमें छेड़छाड़ न करें।
- किसी भी हितलाभ के दावे के लिए मिथ्या बीमारी अथवा चोट का बहाना न करें।
- अपना पहचान कार्ड/ई-पहचान कार्ड किसी और को न दें।
- गलत प्रमाणन आदि के लिए अपने चिकित्सक पर दबाव न डालें।
- क.रा.बी. निगम से किसी भी अनुग्रह के लिए दलालों के पास न जाएं।
- क.रा.बी. निगम फॉर्मों के लिए कोई भुगतान न करें। शाखा कार्यालयों द्वारा इसकी निःशुल्क पूर्ति की जाती है।
- जन्म/मृत्यु की घटना पर अपनी घोषणा में परिवार के सदस्य को जोड़ना/घटाना न भूलें।

Dear Insured Persons/employees For Better and Quicker Services

Please Remember:

- E-Pehchan Card is your visa to Social Security. Protect it from loss or damage. Always keep/save/retain a copy.
- In case of loss of e-Pehchan Card, report the matter to your ESIC Branch Office/Dispensary.
- Insurance Number of IPs is now portable across the country.
- If you are joining/switching over job and already registered with ESI Registration No. (Insurance No.), please inform the same to your new employer.
- Certain benefits are based on your length of contribution. Hence, registering yourself with existing ESIC Insurance No., on change of employment, will entitle you to such enhancement/contribution related benefits.
- Always carry your e-Pehchan Card/Health Pass Book and/or computer generated OPD Slip while visiting ESI Dispensary/Hospital. You will get the facilities faster with these. Your previous medical history can be easily seen.
- Apply for examination by Medical Board immediately after your TDB terminates.
- Follow referral procedures for treatment except in emergencies.
- If you have a grievance, contact Branch Manager/Dispensary in charge to which you are attached for quick redressal. Besides this, the concept of Suvidha Samagam on a fixed day of each month has also been introduced across all the offices of ESIC.
- Be courteous with ESIC staff and expect courtesy and co-operation from them always.

For Helping Us To Help You

Please:

- Do not add any non-eligible person in your family particulars for purpose of medical facility, etc.
- Do not deface or tamper your e-Pehchan Card/Health Pass Book.
- Do not fake illness or injury for claiming any benefit.
- Do not lend your Pehchan Card/e-Pehchan Card to anyone else.
- Do not force your doctor for wrong certification, etc.
- Do not approach touts for any favor from ESIC.
- Do not pay for any ESIC Forms. These are supplied free of cost from Branch Offices.
- Do not forget to add/delete a family member in your declaration in the event of birth/death.

सेवा प्राप्तकर्ताओं से सांकेतिक अपेक्षाएं

कुछ विविध उपबंध

कुछ मामलों में हितलाभ के लिए अनर्हता

वह व्यक्ति जो किसी दिन कार्य कर मजदूरी प्राप्त करता है, उस दिन के लिए वह बीमारी हितलाभ (एस.बी.) अथवा मातृत्व हितलाभ (एम.बी.) का हकदार नहीं होगा।

चिकित्सा उपचार के तहत बीमारी हितलाभ अथवा अस्थायी निःशक्तता हितलाभ के प्राप्तकर्ता इसे जारी रख सकेंगे और अपने बीमा चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए अनुदेशों का पालन कर सकेंगे। उसे अपने चिकित्सा अधिकारी की अनुमति के बिना उपचार क्षेत्र को नहीं छोड़ना चाहिए और चिकित्सा अधिकारी अथवा निगम द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष स्वयं को जाँच के लिए उपस्थित होना चाहिए।

हितलाभ के अधिकार को संरक्षित करना

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत देय नकद हितलाभ किसी भी न्यायालय की डिक्री अथवा आदेश के निष्पादन में कुर्की अथवा बिक्री के लिए दायी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, कोई भी हितलाभ प्राप्त करने का अधिकार अंतरणीय अथवा समनुदेशनीय नहीं है।

पदच्युति, सेवा मुक्त अथवा अन्य दण्डों से सुरक्षा

कर्मचारी निम्नलिखित अवधि के दौरान पदच्युति, सेवामुक्ति तथा अन्य दंडों से सुरक्षित है:-

1. निःशक्तता हितलाभ के प्राप्तकर्ता के मामले में 6 माह की अवधि।
 2. गर्भावस्था अथवा प्रसवावस्था के कारण प्रमाणित बीमारी अथवा बीमारी के लिए चिकित्सा उपचार प्राप्त कर रहे कर्मचारी के मामले में 6 माह की अवधि।
- तपेदिक, कोढ़, मानसिक, दुर्दम अथवा 34 विनिर्दिष्ट रोगों में से किसी का चिकित्सा उपचार प्राप्त कर रहे कर्मचारी के मामले में 12 माह की अवधि।

न्यायनिर्णयन तंत्र

दावाकर्ताओं के अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक दावाकर्ता को कर्मचारी बीमा न्यायालय में विवाद मामला उठाने का अधिकार है। इसकी अध्यक्षता राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारी करता है। सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र ऐसे सभी मामलों में वर्जित है।

हितलाभ भुगतान की चुकौती तथा वसूली

यदि कोई व्यक्ति कोई हितलाभ प्राप्त करता है, जिसका वह वैध रूप से हकदार नहीं है, तो वह निगम को ऐसे हितलाभ के मूल्य की चुकौती (वापसी) का दायी होगा।

मिथ्या ब्यौरे आदि के लिए दंड

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत गलत ढंग आदि से हितलाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से दिया गया कोई भी मिथ्या ब्यौरा अथवा मिथ्या अभ्यावेदन अपराध माना जाता है, जिसका दंड तीन माह तक का कारावास अथवा पांच सौ रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों है।

Indicative Expectations from Service Recipients

Some Miscellaneous Provisions

Disqualification for benefits in certain cases

A person who works and receives wages on any day is not entitled to sickness benefit (SB) or maternity benefit (MB) in respect of that day.

A recipient of sickness benefit or temporary disablement benefit must remain under medical treatment and obey the instructions given by his Insurance Medical Officer. He should not leave the area of treatment without the permission of his medical officer and should present himself for examination by the medical officer or any other person authorized by the Corporation.

Safeguarding the right to benefit

Cash benefits payable under the Employees' State Insurance Act are not liable to attachment or sale in execution of any court decree or order. Also, the right to receive any benefit is not transferable or assignable.

Protection from Dismissal, discharge or other Punishments

An employee is protected against dismissal, discharge, or other punishments during the following periods:-

- (1) a period of 6 months in case of a recipient of disablement benefit;
- (2) a period of 6 months in case an employee is under medical treatment for sickness or certified illness due to pregnancy or confinement; a period of 12 months in case an employee is under medical treatment for T.B., Leprosy, Mental, Malignant or any of the 34 specified diseases.

Adjudication Machinery

To make the right of claimants' effective, every claimant has a right of raising a dispute in the Employees' Insurance Court. It is headed by a judicial officer appointed by the State Government. The jurisdiction of a Civil Court is barred in all such cases.

Repayment and recovery of Benefit payments

If a person receives any benefit to which he is not legally entitled, he is liable to repay the value of any such benefit to the Corporation.

Punishment for false statement, etc.

Any false statement or false representation made or caused to be made for the purpose of obtaining benefit wrongfully, etc. constitutes an offence under the Employees' State Insurance Act, punishable with imprisonment upto three months or with fine up to five hundred rupees or both.

क.रा.बी. निगम आपका न्यासी है – इस पर सदैव विश्वास रखें

याद रखे जाने वाले बिंदु

- अपने चिकित्सक के अनुदेशों का ध्यानपूर्वक पालन करें।
- अपने चिकित्सक द्वारा यथा निर्धारित चिकित्सा उपचार जारी रखें।
- चिकित्सा निर्देशी के समक्ष मिलने के तय समय व तिथि को उपस्थित होने में चूक न करें।
- यदि आप अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हैं तभी केवल चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्राप्त करें।
- क.रा.बी. निगम हितलाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने फॉर्म के ब्यौरे व तिथियां सही तरीके से भरें और अपने दावे में गलत घोषणा न दें।
- यदि आपको कोई संदेह है या स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो अपने शाखा कार्यालय प्रबंधक अथवा औषधालय प्रभारी से संपर्क करें।

नियोक्ताओं को लाभ

जो नियोक्ता क.रा.बी. अधिनियम 1948, के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, वे योजना के अंतर्गत निम्नलिखित हितलाभ प्राप्त करते हैं :-

- नियोक्ता वस्तु अथवा स्थायी नकद भत्ते के रूप में, प्रतिपूर्ति अथवा वास्तविक व्यय, एकमुश्त अनुदान अथवा सीमित श्रेणी की अन्य किसी चिकित्सा बीमा नीति का विकल्प चुनकर कर्मचारियों और उनके आश्रितजनों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने की अपनी सभी जिम्मेदारियों से विमुक्त हो जाता है, जब तक कि यह नियोक्ता की संविदात्मक बाध्यता नहीं है।
- नियोक्ता को निम्नलिखित अनुप्रयोज्यता से छूट मिलती है :
 - प्रसूति हितलाभ अधिनियम।
 - क.रा.बी. योजना के अंतर्गत व्याप्त कर्मचारियों के संबंध में कर्मकार प्रतिकर अधिनियम।
- नियोक्ताओं के अधिकार निपटान (डिस्पोजल) में, एक उत्पादक, बेहतर सुरक्षित श्रम कार्य बल-बेहतर उत्पादन के लिए आवश्यक संघटक है।
- कामगारों के शारीरिक कष्ट जैसे बीमारी, रोजगार चोट या शारीरिक निःशक्तता की वजह से हुई मजदूरी की हानि के समय में नियोक्ता किसी भी दायित्व से विमुक्त हो जाते हैं, क्योंकि बीमाकृत व्यक्तियों के संबंध में नकद हितलाभ के भुगतान का दायित्व क.रा.बी. निगम को अंतरित हो जाता है।
- क.रा.बी. अधिनियम के अंतर्गत भुगतान की गई अंशदान की किसी भी राशि की कटौती कर आय कर अधिनियम के अंतर्गत 'आय' की गणना में की जाती है।

निजी क्षेत्र में दिव्यांगजनों को रोजगार देने वाले नियोक्ताओं को प्रोत्साहन

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के राजपत्र अधिसूचना संख्या एस-38025/2/2008-एस.एस.1, दिनांक 31.03.2008 के द्वारा निजी क्षेत्र में दिव्यांगजनों को रोजगार देने वाले नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन योजना दिनांक 01.04.2008 से लागू है, जो भारत का राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3 उप खंड (1) में प्रकाशित हुई थी। जो दिव्यांगजन दिनांक 01.04.2008 को अथवा उसके बाद नियुक्त हुए हैं और रु. 25,000/- तक की मासिक मजदूरी का आहरण कर रहे हैं, वे इस योजना के अंतर्गत व्याप्त हैं तथा उनके संबंध में भारत सरकार द्वारा तीन वर्षों के लिए नियोक्ता के अंशदान के शेष का भुगतान किया जाता है।

ESIC is Your Trustee – Trust It All The Time

Some Points to Remember

- Follow the instructions of your doctor carefully.
- Do continue the medical treatment as prescribed by your doctor.
- Do not fail to appear before the Medical Referee at the appointed time and date.
- Obtain a medical certificate only if you are unable to attend to your work.
- Fill in particulars and dates on your Forms correctly and make no wrong declaration on your claim for purpose of obtaining ESIC benefits.
- If you have any doubt or need a clarification, contact your Branch Office Manager or Dispensary in charge.

Advantages to Employers

Employers who come under the purview of the ESI Act, 1948, derive the following benefits under the Scheme:-

- Employers are absolved of all their liabilities of providing medical facilities to employees and their dependents in kind or in the form of fixed cash allowance, reimbursement or actual expenses, lump sum grant or opting for any other medical insurance policy of limited scope, unless it is a contractual obligation of the employer.
- Employers are exempted from the applicability of the:
 - Maternity Benefit Act.
 - Employees' Compensation Act, in respect of employees covered under the ESI Scheme.
- Employers have, at their disposal, a productive, well secured workforce - an essential ingredient for better productivity.
- Employers are absolved of any responsibility in times of physical distress of workers such as sickness, employment injury or physical disablement resulting in loss of wages, as the responsibility of paying cash benefits shifts to the ESIC in respect of insured employees.
- Any sum paid by way of contribution under the ESI Act is deducted in computing 'income' under the Income Tax Act.

Incentive to Employers in the Pvt. Sector providing employment to the persons with disability:

The Incentive Scheme for employers in private sector for providing employment to persons with disabilities has come into force w.e.f. 1.4.2008. through Ministry of Labour and employment Gazette Notification No. S-38025/2/2008-SS.I dated 31.03.2008 published in the Gazette of India extraordinary part II, Section 3 Sub Section (1). Persons with disabilities employed on or after 1.4.2008 and drawing monthly wages upto Rs.25,000/- are covered under the scheme and Employer's share of contribution is paid by the Government of India for three years.

नियोक्ताओं की भूमिका

- क.रा.बी. अधिनियम के लागू होने के बाद नियोक्ता को अपने कारखाने/स्थापना का तुरंत ही पंजीकरण कराना चाहिए। नियोक्ता अपनी इकाइयों का निम्न के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं :-

क.रा.बी.निगम वेब पोर्टल – www.esic.gov.in

श्रम सुविधा पोर्टल

नई पंजीकृत कंपनियां कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय पोर्टल के माध्यम से

क.रा.बी. निगम के विभिन्न कार्यालयों से पत्र व्यवहार और क.रा.बी. निगम के सभी फॉर्म दस्तावेज में नियोक्ता कूट संख्या का प्रयोग करें।

- नियोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे कर्मचारी (कर्मचारियों) को रोजगार में लेने से पहले घोषणा प्रपत्र में उनका सही ब्योरा प्राप्त करें (यदि वह कर्मचारी पहले क.रा.बी. निगम में पंजीकृत न हो) और उस पर कर्मचारी का हस्ताक्षर लें। फिर उन्हें इन सूचनाओं को ऑनलाइन घोषणा प्रपत्र में भरना चाहिए क.रा.बी. निगम अधिनियम के अंतर्गत और अपने कर्मचारी को तुरंत पंजीकृत करवाना चाहिए।
- श्रमिक/श्रमशक्ति आपूर्तिकर्ता एजेंसियों के मामले में, उन्हें ईएसआईसी पोर्टल के माध्यम से अपने कर्मचारियों को आधार सीडिंग (जोड़ना) का भी कार्य करना चाहिए और 'एबीएचए' (आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता) का सृजन करना चाहिए। चालान नियोक्ताओं द्वारा क.रा.बी. निगम वेब पोर्टल के माध्यम से छह माह के लिए अग्रिम अंशदान का सृजित किया जाना चाहिए और बैंक में जमा किया जाना चाहिए।
- क.रा.बी. अंशदान का भुगतान आगामी माह, जिसमें मजदूरी देय है, उसके 15 दिनों के भीतर अर्थात् (नियोक्ता का शेयर मजदूरी का 3.25% की दर से (दिनांक 01.07.2019 से) और कर्मचारियों का शेयर मजदूरी का 0.75% (दिनांक 01.07.2019 से) की दर से करें।
- एक बार दी गई कर्मचारी बीमा संख्या, कर्मचारी के लिए जीवनपर्यन्त वैध होती है। यदि वे अपना पता, नियोजक अथवा रोजगार बदलते हैं, तो उन्हें अपना दोबारा पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है।

Role of Employers

- The Employer should get their factory/establishment registered immediately after the ESI Act becomes applicable. Employers can register their units through:-
ESIC Web Portal – www.esic.gov.in
Shram Suvidha Portal
Newly registered companies through the Ministry of Corporate Affairs Portal.
Use Employers' code no. in all ESIC forms, documents and correspondences with various offices of the ESIC.
- Employers are advised to obtain correct particulars of his/her employee(s) as per details of Aadhaar before taking him in employment in declaration forms (unless this employee is registered in ESIC earlier) and obtain employee's signature on it. They should then fill this information in online declaration form and registered his/her employee(s) under ESIC Act immediately. They should also do the Aadhar seeding of their employees through ESIC Portal and create 'ABHA' (Ayushman Bharat Health Account).
- In case of Labour/Manpower supplying agencies, challan of advance contribution for six months should be generated by the employers through the ESIC web portal, deposited in the bank.
- Pay ESI contributions (Employers' share @ 3.25% (w.e.f 01.07.2019) of the wages and employees' share @ 0.75% (w.e.f 01.07.2019) of the wages within 15 days of the following month, in which the wages fall due.
- The employee Insurance Number, once given, is valid for the lifetime of an employee. He need not register himself again if he changes location, employer or employment.



कब क्या करें (नियोक्तों के लिए)

बीमाकृत कर्मचारियों को क.रा.बी. हितलाभों का सुगम लाभ पहुंचना को सुनिश्चित करने हेतु

- कर्मचारी की नियुक्ति होते ही तुरंत सभी सुसंगत सूचनाओं सहित (आधार संख्या के साथ) उसका सही प्रकार से ऑनलाइन पंजीकरण किया जाए। अस्थायी पहचान प्रमाणपत्र (ई-पहचान कार्ड) का प्रिंट आउट कर्मचारियों को दिया जाए ताकि वे क.रा.बी. योजना के हितलाभों को रोजगार के पहले दिन से प्राप्त कर सकें।
- अब कर्मचारियों के नए पंजीकरण के संबंध में बैंक विवरण उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, मौजूदा बीमाकृत व्यक्तियों के लिए ऐसे व्यौरे ऑनलाइन पर अपलोड किए जा सकते हैं चूंकि इसे (प्रत्यक्ष) भौतिक रूप से जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- किसी पहचान प्रमाणपत्र/पहचान पत्र के न होने पर योजना के अंतर्गत किसी नए बीमाकृत व्यक्ति को चिकित्सा हितलाभ का लाभ उपलब्ध कराने के लिए उसे फॉर्म-86 में एक 'रोजगार प्रमाणपत्र' जारी किया जाए। नियोक्ता द्वारा जारी यह प्रमाणपत्र 3 (तीन) माह तक के लिए वैध होता है लेकिन इसे अगली 3 (तीन) माह तक की अवधि के लिए पुनः वैध किया जा सकता है।
- जब कभी विवाह, जन्म एवं मृत्यु जैसी घटनाओं से किसी बीमाकृत व्यक्ति के परिवार के विवरण में कुछ बढ़ाया अथवा घटाया जाना हो तो वांछित सूचना को ईएसआईसी के वेब पोर्टल पर अपलोड किया जाए।
- किसी व्यक्ति के बीमायोग्य रोजगार में पुनः प्रवेश करने अथवा जहां अंशदान की विवरणी सृजित न होने/करने के कारण किसी बीमाकृत व्यक्ति की चिकित्सा हितलाभ की हकदारी समाप्त कर दी गई है, वहां नियोक्ता ऐसे व्यक्ति को फॉर्म क.रा.बी. निगम-37 में 'पुनरोजगार प्रमाणपत्र' अथवा 'रोजगार जारी' प्रमाणपत्र जारी कर सकता है। यह प्रमाणपत्र बीमाकृत व्यक्ति को इसके जारी होने की तारीख से चिकित्सा हितलाभ का लाभ लेने में सक्षम बनाएगा।
- यदि बीमाकृत व्यक्ति को किसी वैध कारणों से औषधालय के परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है तो नियोक्ता ईएसआईसी वेब पोर्टल में ड्रॉप डाउन सूची से औषधालय परिवर्तन कर सकते हैं।
- जब कभी कोई बीमाकृत व्यक्ति ड्यूटी पर अथवा छुट्टी पर स्टेशन से बाहर जाता है तो उसे फॉर्म क.रा.बी. निगम 105 में प्रमाण पत्र जारी किया जाए। यह उसे और उसके परिवार को कहीं और क.रा.बी. औषधालयों/अस्पतालों में चिकित्सा उपचार का लाभ लेने में समर्थ बनाएगा, यदि ऐसे बाह्य स्थानों पर चिकित्सा उपचार उपलब्ध हो।
- क.रा.बी. योजना के अंतर्गत नियोक्ता अपने कर्मचारियों को विधिसम्मत हितलाभ का दावा करने में मार्गदर्शन दें अथवा सहायता करें और योजना के अंतर्गत उनके अधिकार और दायित्वों के बारे में भी उन्हें अच्छी तरह से शिक्षित करें।
- कर्मचारियों को किसी आकस्मिक दुर्घटना के परिणामस्वरूप मजदूरी की हानि अथवा अर्जन क्षमता की हानि की स्थिति में क.रा.बी. योजना की उपयोगिता के बारे में बताया जा सकता है।
- क.रा.बी. अधिनियम के अंतर्गत अपने अधिकारों और दायित्वों से संबंधित किसी संदेह के स्पष्टीकरण के लिए यह सलाह दी जाती है कि स्वघोषित सलाहकार अथवा अन्य गैर-प्राधिकृत व्यक्तियों की सलाह लेकर उन पर निर्भर रहने के बजाय क.रा.बी. निगम के कार्मिक से मिला जाए।

What To Do When (by Employers)

To ensure smooth flow of ESI Benefits to Insured Employees

- Online registration of employees with Aadhar No. seeding shall be done correctly and promptly on appointment, with all relevant information. Print out of Temporary Identification Certificate (e-Pehchan Card) may be given to employees promptly so that they can avail benefits available under ESI Scheme from day one of employment.
- Now providing Bank details in respect of new registration of employees are mandatory. Also, such details for existing Insured Persons may be uploaded online as there is no need to submit the same in physical form.
- In order to facilitate a newly Insured Person to avail medical benefit under the Scheme in absence of an identity certificate / identity card, a 'Certificate of Employment' may be issued to the Insured Person in Form-86. This certificate, issued by the employer, remains valid for 3 months but can be revalidated for a further period not exceeding 3 months.
- Whenever events, such as, marriage, birth or death entails any additions or deletions in the family particulars of an Insured Person, the requisite information may be uploaded in the ESIC web portal.
- On re-entry of a person into insurable employment or, where an Insured Person had been dis-entitled to medical benefit due to non-generation of Return of Contribution, the employer may issue a 'Certificate of re-employment' or 'continuing employment' to such person in Form ESIC-37. This certificate will enable the Insured Person to avail of medical benefit from the date of its issuance.
- If an insured employee needs a change of dispensary due to any valid reasons, the employer may change the dispensary from the drop down list in the ESIC web-portal.
- Whenever an Insured Person goes out of station on duty or leave, he may be issued a certificate in Form ESIC 105. This will enable him and his family to avail of medical treatment in ESI Dispensaries/Hospitals elsewhere, if available at such outstation locations.
- Employers may assist or guide individual employees, for claiming any lawful benefit under the ESI Scheme, and also educate them properly about their rights and responsibilities under the Scheme.
- The usefulness of the ESI Scheme in the face of an untoward event resulting in loss of wages or earning capacity could be explained to the employees.
- For clarification of any doubt vis-à-vis your rights and responsibilities under the ESI Act, it is advisable to get in touch with a ESIC official rather than depend on advice from self-proclaimed consultants or any other unauthorized persons.

नियोक्ता के अधिकार

- क.रा.बी. निगम, चिकित्सा हितलाभ परिषद और समय-समय पर गठित की जाने वाली निगम के अन्य महत्वपूर्ण समितियों में प्रतिनिधित्व करना।
- क.रा.बी. अधिनियम के अंतर्गत दायित्वों को पूर्ण करने के लिए आवश्यकता अपेक्षित फार्मों की आपूर्ति करना।
- बीमाकृत व्यक्तियों की मजदूरी से मौके पर ही कर्मचारियों के अंशदान के शेयर की वसूली करना।
- दावे के विवाद के मामले में, क.रा.बी. निगम के अपीलीय प्राधिकारी को अपील करना।
- अपीलीय प्राधिकारी के निष्कर्षों से संतुष्ट न होने की स्थिति में कर्मचारी बीमा न्यायालय में अपील करना।
- यदि प्रबंधन द्वारा प्रदान किए जाने वाले हितलाभ, यदि क.रा.बी. योजना के तहत उन मौजूदा हितलाभों के बराबर अथवा ज्यादा बेहतर हों तो उस स्थिति में योजना की प्रयोज्यता से छूट प्राप्त करने का अधिकार।
- अधिनियम की प्रयोज्यता, हितलाभों, अंशदान, निरीक्षणों और अन्य प्रक्रियाओं से संबंधित सभी अनिवार्य सूचनाएं प्राप्त कर पहुंच का अधिकार।

नियोक्ताओं की सेवा में क.रा.बी. निगम की भूमिका

- नियोक्ताओं के साथ उत्तरदायी, उद्देश्य और सृजनशील संबंध विकसित करना।
- क.रा.बी. योजना में सुधार करने के लिए उनकी सक्रिय भागीदारी आमंत्रित करना।
- क.रा.बी. अधिनियम के अन्तर्गत उनके वैध दायित्व के निर्वहन हेतु आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना।
- उन्हें यथा अपेक्षित फॉर्म और प्रपत्र समय-समय पर उपलब्ध करवाया जाना।
- यह सुनिश्चित करना कि बीमा चिकित्सा अधिकारी (आइ.एम.ओ.) / पैनल चिकित्सक द्वारा दिया गया किसी भी प्रकार का शिथिल चिकित्सा प्रमाणन कारखाने या स्थापना की उत्पादकता कम नहीं करता है।
- यह सुनिश्चित करना कि किसी भी प्रकार की कठिनाई, शंका या गलतफहमी होने के मामले में नियोक्ता को उपयुक्त स्तर पर अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है।
- यह सुनिश्चित करना कि नियोक्ता की ओर से प्राप्त पत्रों का समय पर और निष्पक्ष रूप में उत्तर भेजा जाता है।
- यह सुनिश्चित करना कि नियोजक के प्राधिकृत निगम के किसी कार्मिक द्वारा परिसर या रिकॉर्ड का निरीक्षण करने के दौरान उस नियोक्ता का उत्पीड़न तो नहीं किया जा रहा है।
- यह सुनिश्चित करना कि नियोक्ताओं से प्राप्त किसी भी प्रकार की शिकायतों का तीव्र निराकरण के लिए उस पर तुरंत विचार किया जाता है।

Rights of Employers

- To be represented on ESI Corporation, Medical Benefit Council and other important committees of the Corporation that may be formed from time to time.
- To be supplied requisite Forms as may be required for fulfilling any obligation under the ESI Act.
- To recover employees share of contribution on the spot from the wage of insured person.
- To appeal to appellate authority of the ESI Corporation in case of dispute on the claim.
- To appeal to Employees' Insurance Court if not satisfied with the findings of Appellate Authority.
- Right to seek exemption from the applicability of the Scheme in case benefits provided by the management are similar or superior to those available under the ESI Scheme.
- Right of access to all essential information concerning the applicability of the Act, benefits, contribution, inspections and other procedures.

Role of ESIC in Serving Employers

- To develop a responsive, purposive and productive relationship with employers.
- Seek their active involvement in the improvement of the ESI Scheme.
- Provide them necessary guidance in fulfilling their lawful obligation under the ESI Act.
- Make available to them requisite Forms and Performa as may be required by them from time to time.
- To ensure that any lax medical certification by IMOs/Panel Doctors does not bring down the productivity of a factory or establishment.
- To ensure that in case of any difficulty, doubt or misunderstanding, employer is given a chance to be heard at an appropriate level.
- To ensure that all correspondence emanating from the employer is responded to timely and objectively.
- To ensure that an employer is not being harassed by any official of the Corporation authorized to inspect the premises or the records of the employer.
- To ensure that any grievances received from employers are looked into promptly for speedy redressal.

पणधारकों की सूची

क्रम सं.	पणधारक
1	केंद्रीय मंत्रालय/विभाग
2	राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत कार्यान्वित क्षेत्रों में संचालित रही सभी इकाइयाँ और जिसमें 10 अथवा उससे अधिक कर्मचारी हों।
4	कार्यान्वित क्षेत्रों में कार्यरत सभी कामगार जो प्रतिमाह 21,000/- रुपये तक मजदूरी अर्जित करते हों।
5	बीमाकृत व्यक्तियों के परिवार के सभी सदस्य/आश्रितजन।
6	सभी सामग्री आपूर्तिकर्ता और सेवा प्रदाता।
7	सभी श्रमिक संघ संगठन (ऑल ट्रेड यूनियन ऑर्गनाइजेशन)
8	सभी नियोक्ता संघ (ऑल एम्प्लोयर्स एसोसिएशन)

उत्तरदायित्व केंद्र और अधीनस्थ संगठन

क्रम	उत्तरदायित्व केंद्र और अधीनस्थ संगठन	दूरभाष संख्याएं	ई-मेल	पता
1	क.रा.बी. निगम के सभी क्षेत्रीय निदेशक	आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् www.esic.gov.in में सूचना उपलब्ध है।		
2	क.रा.बी. निगम, उप क्षेत्रीय कार्यालय के सभी निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक प्रभारी	आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् www.esic.gov.in में सूचना उपलब्ध है।		
3	सभी चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी. निगम अस्पताल	आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् www.esic.gov.in में सूचना उपलब्ध है।		
4	क.रा.बी. योजना अस्पताल के सभी चिकित्सा अधीक्षक	आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् www.esic.gov.in में सूचना उपलब्ध है।		
5	क.रा.बी. योजना के सभी चिकित्सा/स्नातकोत्तर शिक्षा संस्थान	आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् www.esic.gov.in में सूचना उपलब्ध है।		
6	क.रा.बी. निगम के सभी औषधालय-सह-शाखा कार्यालय (डीसीबीओ)/शाखा कार्यालय,	आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् www.esic.gov.in में सूचना उपलब्ध है।		
7	क.रा.बी. निगम के सभी औषधालय	आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् www.esic.gov.in में सूचना उपलब्ध है।		
8	क.रा.बी. योजना के सभी औषधालय	आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् www.esic.gov.in में सूचना उपलब्ध है।		

List of Stakeholders

S. No.	Stakeholders
1	Central Ministries/Department
2	State Government/ UT Administration
3	All units running in implemented areas under ESI Act and having 10 or more employees.
4	All workers working in implemented areas and earning wages upto Rs. 21,000 per month.
5	All family members/dependents of insured persons.
6	All material suppliers and service providers.
7	All Trade Union Organizations
8	All Employers' Associations

Responsibility Centers and Subordinate Organizations

S. No.	Responsibility Centers and Subordinate Organizations	Landlines Numbers	Email	Address
1	All ESIC Regional Directors	Information available at official website i.e. www.esic.gov.in		
2	All Directors/Jt. Directors/Dy. Director I/cs, ESIC Sub-Regional Offices	Information available at official website i.e. www.esic.gov.in		
3	All Medical Superintendents, ESIC Hospital	Information available at official website i.e. www.esic.gov.in		
4	All Medical Superintendents, ESIS Hospital	Information available at official website i.e. www.esic.gov.in		
5	All ESIC Medical/PG educational Institutes	Information available at official website i.e. www.esic.gov.in		
6	All Dispensary Cum Branch Offices /Branch Offices (DCBO), ESIC	Information available at official website i.e. www.esic.gov.in		
7	All ESIC Dispensaries	Information available at official website i.e. www.esic.gov.in		
8	All ESIS Dispensaries	Information available at official website i.e. www.esic.gov.in		



क.रा.बी.नि.
ESIC

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

Employees' State Insurance Corporation

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय

भारत सरकार

Ministry of Labour & Employment
Government of India

Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110002

Toll Free No. 1800-11-2526, Medical Helpline No. 1800-11-3839

www.esic.gov.in, www.esichospitals.gov.in

[f @esichq](#) [x @esichq](#) [v @esichq](#) [@esichq](#) [@esichq](#)